

भाग -2
(सम्बंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

क्र.सं.	मद	विवरण
	परियोजना विवरण	जनपद बरेली में सेंट्रल यूपी गैस लि०, द्वारा बरेली-शाहजहाँपुर मार्ग (11300मी०), चैनैज 260.300 से 271.600 तक 4" एवं 125 एम०एम० (5") व्यास की भूमिगत स्टील एवं एम०डी०पी०ई० गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु 0.6215 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग वृक्षों के पातन की अनुमति सम्बन्धी प्रस्ताव ।
1	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश।
2	वन प्रभाग	बरेली।
3	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	0.6215 हे०
4	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन भूमि (मार्ग पटरी)
5	हरयाली का घनत्व	
6	प्रजातिवार (बैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) । सिंचाई/जलीय परियोजना के सम्बन्ध में एक एल,एफ, आर, एल-2 मीटर पर परिगणना और एफ आर एल -4 मीटर भी संलग्न किए जाए)	प्रभावित वृक्षों की संख्या - 0
7	भू - क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	वनक्षेत्र संरक्षित वन है एवं बरेली - शाहजहाँपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है जिस कारण भू- क्षरण न्यून है।
8	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	वन भूमि से मिला है।
9	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबंधित की जाए)	नहीं ।
10	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं ।
11	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय / पारम्परिक स्थल / रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा संक्षेप प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
12	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग - 1 कॉलम -2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	चूंकि प्रस्तावित वन भूमि राज सार्वजनिक वन है, गैस पाईप लाईन बिछाने हेतु उक्त संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।
13	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य को ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं ।

	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा :-	
	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अविकसित वन क्षेत्र, आस - पास की वन से इसकी दूरी , भू -खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू -खण्डों का आकार	लागू नहीं है।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र / अविकसित वन क्षेत्र, आस - पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।	लागू नहीं है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण किर्यान्वयक एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	लागू नहीं है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	लागू नहीं है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	लागू नहीं है।
15	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
16	विभाग / जिला प्रोफाईल	
i	जिला का भौगोलिक क्षेत्र	412000
ii	जिले का वन क्षेत्र	410.84
iii	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	मामलो की सं0- 47 378.56 हे0
iv	1980 से जिला/ प्रभागों में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	100.8085 हे0
v	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि	-
vi	वनेत्तर भूमि पर	0.00 हे0
17	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	
i	वन भूमि पर	100.8085 हे0
ii	वनेत्तर भूमि पर	0.00
18	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक को विशेष सिफारिशें।	अनहित एवं रीजगार को बढ़ावा देने हेतु संसुप्ति की जाती है।


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग